संचालनालय महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश
खण्ड दो, चतुर्थ तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल 462016 (म.प्र.)
दूरभाष : 0755–2550917, फैक्स, 0755–2577122 Email: icpsbhopal@gmail.com

क्र. / एफ–01 / आईसीपीएस / प्रशि. / 2016 / 5960 भोपाल, दिनांक 01 / 04 / 2016

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–समस्त।
मध्यप्रदेश

विषय :– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान के तहत् दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 10 में अधिनियम के तहत् कार्यरत समस्त कृत्यकारियों यथा जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारियों, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण समिति के कृत्यकारियों, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं समस्त बाल देखरेख संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान दिया गया है। इस संबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अधिनियम में प्रचलित याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा बाल देखरेख के क्षेत्र में कार्यरत समस्त पणधारियों को अधिनियम एवं न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न दिशा–निर्देशों की जानकारी से अवगत कराये जाने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण दिये जाने हेतु निर्देशित किया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानुसार बाल देखरेख के क्षेत्र में कार्यरत समस्त पणधारियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु राज्य स्तर से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन निरंतर किये जाने के उपरांत भी यह देखने में आया है कि जिला स्तर के नामांकित प्रतिनिधि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नही हो रहे है, जिससे अधिनियम के प्रावधान एवं मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही संपादित की जाना संभव नही हो पा रहा है।

अनुरोध है कि अधिनियम, में दिये गये प्रावधानुसार बाल देखरेख के क्षेत्र में कार्यरत समस्त पणधारियों को राज्य स्तर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने एवं संबंधितों को यह भी सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें कि, बिना वैध कारण के अनुपस्थित होने वाले प्रतिभागियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(कल्पना श्रीवास्तव)
वि.क.अ. सह– आयुक्त
महिला सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

निरंतर......2

पृ.क./ एफ–01/आईसीपीएस/प्रशि./2016/596 भोपाल, दिनांक 01/4/2016
प्रतिलिपिः–

1. संभागीय उपसंचालक, महिला सशक्तिकरण संभाग समस्त।
2. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला समस्त।
3. समस्त अशासकीय अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड जिला समस्त।
4. शासकीय/अशासकीय संस्था अधीक्षक/प्रबंधक जिला समस्त।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वि.क.अ. सह– आयुक्त
महिला सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश